

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28-1-25
Not Press
विना दाय

पत्रावली पत्र दुरु अधिवक्ता पार्सी उपस्थित अधिवक्ता
पार्सी द्वारा निवेदन किया गया कि पार्सी विचाराधीन
पार्सीना पत्र अवमानना का अति नदी चलाना पाठ्य
साथ ही अधिवक्ता पार्सी द्वारा Not Press किया
गया।

अधिवक्ता पार्सी द्वारा Not Press करने पर
पार्सी हरिसिंह उर्फ हारमा पुत्र मित्रीमाल जाति
जोगी निवासी मालवान तहसील सिकराप जिला दोसा
द्वारा इस न्यायालय में ~~पुस्तक~~ राजू जोगी पुत्र राधम
जोगी व अन्य के विरुद्ध पुस्तक पार्सीना पत्र अवमानना
खारिज किया जाता है पत्रावली केसल मुगार की
जोकर नम्बर से कम हो एवं बाद प्रॉर्ट प्रविष्ट
अभि लेखाकार की जाके निर्णय आज दिनांक
28-1-2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में
मुनामा गया।



(सुमित्रा पारीक)
अति. जिला कलक्टर
दोसा (राज.)

